(i) Identification and documentation of new and high-tech areas

(ii) Organising awareness programmes for dissemination of technology information.

(iii) Prototype development and technical consultancy.

(iv) Organising tie-up arrangement for technology transfer.

(v) Exposure to the international quality system certifications-ISO 9000 etc.

The action taken on major recommendations of Nayak Committee consist of provision of working capital at 20 per cent of their projected annual turnover for new as well existing units having aggregate fund based working capital credit limits upto Rs. 1 crore from the banking system, modification in the definition of sick SSI units, the rate of interest applicable for working capital term loan granted as a part of the rehabilitation package, etc.

(e) and (f) Yes, Sir.

The number of small scale industrial units is estimated to have gone up from 20.82 lakh in 1991-92 to 22.35 lakh in 1992-93. Over the same period, employment is estimated to have increased from 129.8 lakh person to 134.06 lakh person and output from Rs. 178699 crores to Rs. 209300 crores. By the end of 8th Five Year Plan i.e. 1996-97, production is targetted to rise to Rs. 233436 crores (at 1990-91 prices) and employment to 150.5 lakh persons.

अल्कोहल आदि के संबंध में स्वीकृति के लिए लंबित पड़े बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

3145. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने 1988-89 में पेय अल्कोहल/बीयर के संबंध में 30 उद्यमियों और माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज के प्रस्ताव उद्योग विभाग की स्वीकृति के लिए भेजे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से केवल दो आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया गया है और एक आवेदन पत्र को बिहार सरकार से राय लिए बगैर मध्य प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ग) क्या उद्योग विभाग लम्बित पड़े बाकी 28 आवेदन पत्रों को भी स्वीकृति देने का विचार रखता है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :(क) से(ङ) बिहार में 1988 से बियर और पोटेबल एल्कोहल (सीरे से भिन्न माध्यमों से) उद्योग स्थापित करने के लिये आशय-पत्र की स्वीकृति के लिये कुल 40 आवेदन पंजीकृत किए गये थे।

1.3.94 तक इन आवेदनों के जवाब में बियर के लिये तीन आशय पत्र और पोटेबल ऐल्कोहल के लिये 1 आशय-पत्र जारी किया गया था और 33 आवेदन नामंजूर कर दिये गये थे, क्योंकि ये लाइसेंस मंजूर करने के लिये बियर/पोटेबल ऐल्कोहल नीति के मानदण्डों को पूरा नहीं करते थे।

जारी किये गये 4 आशय पत्रों में से एक उद्यमी ने प्रस्तावित स्थापना-स्थल को पलामू, बिहार से बदल कर भिण्ड, मध्य प्रदेश कर लिया है। स्थापना-स्थल में परिवर्तन पर कार्रवाई और अनुमति नीति के अनुसार सरकार द्वारा दी जाती है।